अनुसूची १४--फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३

आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमण्डल, सहरसा

भूमि विवाद अपील संख्या-96/2012

विनोद कुमार सिंह ..... अपीलकर्त्ता

बनाम

उपेन्द्र मंडल एवं अन्य .....विपक्षीगण

आदेश

6-9-14

यह अपीलवाद भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज के आदेश दिनांक 16.02.2012 के खिलाफ दाखिल किया गया है। अपीलकर्त्ता का कथन है कि उनके द्वारा भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज के न्यायालय में वाद संख्या 32/2011-12 मौजा-मोहालिया, थाना-जदिया, अंचल-त्रिवेणीगंज खाता संख्या-97 वो 111 खेसरा संख्या-732, 727, 731 के रकवा 01 बीधा के लिए अपने रैयति हक और दखल के लिए दायर किया गया था। आवेदक का संक्षेप में यह कहना है कि प्रस्तुत भूमि खाता संख्या-97 एवं 111 पुराने सर्वे खतियान में राजेन्द्र सिंह एवं पंचम नारायण सिंह, पिता-स्व0 गोपी सिंह के नाम से दर्ज था। पंचम नारायण सिंह के दो लड़के नागेन्द्र नारायण सिंह एवं शिवेन्द्र नारायण सिंह हुए। राजेन्द्र नारायण सिंह के लड़के इन लोगों से अलग हो गये और विवादग्रस्त भूमि नागेन्द्र नारायण सिंह के हिस्से में आया और नागेन्द्र नारायण सिंह के दो लड़के सत्येन्द्र नारायण सिंह एवं रतेन्द्र नारायण सिंह हुए। सत्येन्द्र नारायण सिंह के एक लड़के माधव कुमार सिंह हुए। जिसका वंशवृक्ष उनके द्वारा अपने अपील में दिया है।

आगे उनका कहना है कि मुताबिक बटवारा हाल सर्वे में खाता भी खुला है, जिसका रिभिजनल सर्वे खतियान अपीलकर्त्ता के द्वारा दाखिल है। मुताबिक हाल सर्वे खतियान का उन लोगों का दखल-कब्जा होता चला आ रहा है। राधवेन्द्र नारायण सिंह ने अपीलकर्त्ता विनोद कुमार सिंह के पक्ष में डीड नं0-7152 दिनांक 05.12.2001 के द्वारा ढ़ाई बीधा भूमि दान किये है, जिसमें विवादित भूमि खाता

संख्या-97 खेसरा संख्या-737, 732, 727, 716 एवं खाता संख्या-111 खेसरा संख्या-731 है, जिसमें एक बीधा अपीलार्थी को मिला है। अपीलार्थी कहते है जिस पर दखलकार थे तथा अपीलार्थी ने यह दर्शाया है कि श्रीमती उषा किरण सिंह जो माधव कुमार सिंह की पत्नी थी, उसने दस्तावेज संख्या-1765 दिनांक 17.07.1988 के द्वारा खाता संख्या-97 खेसरा संख्या-737, 732, 727, 716 एवं खाता संख्या-111 खेसरा संख्या-731 एवं 739 में 10 कट्ठा 04 धूर कुल भूमि प्राप्त है और उक्त दोनों दस्तावेज के आधार पर अपना दखल होना कहते है साथ ही उक्त दोनों दस्तावेज का दाखिल-खारिज हो चुका है और मालगुजारी रसीद जमाबंदी संख्या-1053 का कटती है और दूसरी जमाबंदी खरीदगी भूमि का जमाबंदी संख्या-787 चल रही है, जिसका अद्यतन रसीद वर्ष 2012-13 तक का दाखिल किया गया है, जिसके पृष्ट पर खाता खेसरा अंकित है और अपीलार्थी का कहना है कि इस तरह से अपीलार्थी हकदार एवं दखलकार थे, इधर हाल में 01 बीधा जमीन से वेदखल कर दिया, जिसके लिए प्रस्तुत अपीलवाद दाखिल किया और इस तरह अपीलकर्त्ता अपने रैयती हक और दखल पाने का प्राख्यान किये जाने के संबंध में अपना दावा पेश किया है।

प्रत्यार्थी प्रस्तुत अपीलवाद में उपस्थित होकर अपना जबाब दाखिल किया है, उनका संक्षेप में कथन है कि प्रस्तुत अपीलवाद की भूमि 18.04.1985 ई0 को राजीव कुमार सिंह, पिता-सुरेन्द्र नारायण सिंह से दस्तावेज संख्या-3806 दिनांक 18.04.1985 द्वारा खरीद है तथा दूसरा दस्तावेज श्री राजीव कुमार सिंह के द्वारा अर्जून मंडल और उपेन्द्र मंडल के पक्ष में दस्तावेज संख्या-2391 दिनांक 14.05.2003 के द्वारा 09 कट्ठा 17 धूर खरीद है और इसी आधार पर उनका दावा है, उनका यह भी कथन है कि उनके नाम से मालगुजारी रसीद उसकी कटती है, जिसका जमाबंदी संख्या-1281/671 वर्ष 2009-10 एवं मालगुजारी राजीव कुमार सिंह के नाम का जमाबंदी संख्या-988 का दाखिल किया है। इस तरह प्रत्यार्थी का कथन है कि विवादग्रस्त भूमि राजीव कुमार सिंह के हिस्से में थी, जो खरीदने के बाद दखलकार है और 1985 से दखलकार चला आ रहा है।

दोनों पक्षों के द्वारा दाखिल कागजात एवं उनके विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुनने के पश्चात्यह स्पष्ट होता है कि विवादी भूमि के खतियानी रैयत जो पुराने सर्वे को लें तो उसमें विरोध नहीं है। अपीलार्थी का कहना है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि बटवारा से हिस्सा में पंचमनारायण सिंह के वारिसानों को मिला है, उनके सबूत में हाल सर्वे खतियान नाम से राधवेन्द्र नारायण सिंह, पिता-रतेन्द्र सिंह 01 अंश और माधव प्रसाद सिंह, पिता-सत्य नारायण सिंह, 01 अंश और नंदन कुमार सिंह और हरि कुमार सिंह, पिता-योगेन्द्र नारायण सिंह, 02 अंश दर्शाया गया

है। उक्त खतियान के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पुराना खेसरा 737 से बना हाल खेसरा 1584 एवं 732 से बने हाल खेसरा 1587 एवं 731 से बना हाल खेसरा 1585 और 727 से बना 1601 खेसरा उन लोगों के नाम से बना है, जो दखलकार होने का द्योतक है और इन्हीं खतियानी रैयतों के द्वारा अपीलकर्त्ता को भूमि दान की गई है एवं ब्रिक्री की गई है, हाल सर्वे खतियान के संबंध में किसी तरह का विरोध प्रत्यार्थी का नहीं किया है तथा प्रत्यार्थी के द्वारा राजीव कुमार सिंह के नाम का रसीद एवं अपने का रसीद तथा दस्तावेज दाखिल किया गया है लेकिन कोई ऐसा कागजात प्रत्यार्थी के द्वारा दाखिल नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विवादग्रस्त भूमि उनके हिस्से की थी, जबकि अपीलार्थी के द्वारा हाल सर्वे खतियान दाखिल कर यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि अपीलार्थी के विक्रेता के नाम से हाल सर्वे में दर्ज हुआ है। अपीलार्थी वर्ष 2012-13 तक का रसीद जमा किया है, जिसमें खाता खेसरा अंकित है।

उभय पक्षों के कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता संख्या-97 (पुराना) एवं 111 (पुराना), खेसरा संख्या-732, 727 एवं 731 के कुल एक बीघा जमीन जमाबंदी एवं कब्जे के अनुसार सीमांकण की आवश्यकता है ताकि भूमि विवाद सदा के लिए समाप्त की जाए। निम्न न्यायालय के आदेश को इस हद तक संशोधित करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

6.9.14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।